दिनांक–25.03.2019 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण कार्यों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– यथा संधारित।

1. <u>सर्वे प्रशिक्षण संस्थान हेतु प्रिंसिपल एवं अन्य पदों को भरने के संबंध में</u>:– निदेशित किया गया कि सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, में प्रिंसिपल एवं अन्य आवश्यक पदों पर संविदा पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के संबंध में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाए।

(अनुपालनः– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

2. <u>विशेष सर्वेक्षण के क्रम में सरकारी/अर्द्धसरकारी भूमि का संरक्षण</u>:– भू–अभिलेख निदेशालय को निदेशित किया गया कि जिलों में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होने के पूर्व सभी नवचयनित जिलों को पत्र दिया जाए कि जिलों में अवस्थित सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी एवं अन्य विभागों/कार्यालयों को विशेष भू–सर्वेक्षण कार्य प्रांरभ होने की जानकारी ससमय उपलब्ध करा दी जाए ताकि उनके द्वारा उनके स्वामित्व के भूमि की विवरणी सर्वेक्षण शिविरों को प्राप्त हो सके। साथ ही अंचल स्तर पर भी सरकारी /अर्द्धसरकारी एवं अन्य विभिन्न प्रकार के सरकारी भूमि (रैयती छोड़कर) यथा जल निकाय, सार्वजनिक स्थल इत्यादि की विवरणी तथा बंदोबस्त/रैयती लीज नीति के तहत अर्जन एवं अन्य भू–अर्जन की गई भूमि की सूची तैयार कर ली जाए।

सभी विभाग अपना एक–एक नोडल पदाधिकारी सभी जिलों में निर्धारित करेंगे जो हो रहे सर्वेक्षण के दौरान अपने विभागीय भूमि के संदर्भ में आवश्यक कागजात आदि सर्वेक्षण शिविर में उपलब्ध करायेंगे और अपने विभागीय भूमि के अनुरक्षण हेतु नियमानुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः– प्रभारी सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग)

3. <u>विशेष सर्वेक्षण कार्यों का निदेशक स्तरीय पर्यवेक्षण</u>:– विशेष सर्वेक्षण का कार्य सभी नवचयनित जिलों में प्रारंभ होने पर निदेशक स्वयं प्रत्येक सप्ताह सर्वेक्षण कार्यों का शिविर स्तरीय/बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर पर पर्यवेक्षण/अनुश्रवण का कार्य करेंगे। यह पर्यवेक्षण अनुश्रवण का कार्य पाक्षिक/मासिक स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा।

(अनुपालनः– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

4. <u>विशेष सर्वेक्षण कार्यों के राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु दलों का गठन</u>:– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप के नेतृत्व में विशेष सर्वेक्षण कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं इसके अंतर्गत सभी निदेशालय यथा चकबंदी, भू–अर्जन के सभी वरीय पदाधिकारियों को अलग–अलग जिलों के पर्यवेक्षण/अनुश्रवण का दायित्त्व दिया जाए। जिन पदाधिकारियों के पास विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं है, उनको भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय से वाहन उपलब्ध कराऐंगे। ये सभी पदाधिकारी सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को क्षेत्रीय भ्रमण कर कार्यों की समीक्षा करेंगे।

(अनुपालनः– प्रभारी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कोषांग)

(13)

5. **विशेष सर्वेक्षण कार्यों का जिला स्तरीय पर्यवेक्षणः–** जिला स्तर पर बंदोबस्त पदाधिकारी–सह–समाहर्त्ता विशेष भू–सर्वेक्षण कार्यों की नियमित समीक्षा करेंगे। अपर समाहर्त्ता/प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त द्वारा पाक्षिक एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी।

विशेष सर्वेक्षण संबंधी कार्यों की प्रगति प्रतिवेदन (Statuary report) विहित प्रपत्रों में अमीन/कानूनगो एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा तैयार कर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता/प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त के समक्ष समर्पित किया जाएगा जिसे प्रभारी पदाधिकारी अपने स्तर से समीक्षा कर बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करेंगे एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को समर्पित करेंगे। साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्त्ता भी प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा कर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन साप्ताहिक रूप से प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त को समर्पित करेंगे।

प्रगति प्रतिवेदन की प्राप्ति हेतु प्रपत्रों को प्रारूपित किया जाएगा, जो इस प्रकार हो कि अमीन विहित प्रपत्र में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी समेकित प्रतिवेदन अपर समाहर्त्ता/अंचलाधिकारी को समर्पित करेंगे। तत्पश्चात् अपर समाहर्त्ता द्वारा समेकित प्रतिवेदन बंदोबस्त पदाधिकारी–सह–समाहर्त्ता को समर्पित किया जाएगा।

(अनुपालनः– प्रभारी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कोषांग)

6. **नवनियुक्त कर्मियों के प्रशिक्षण तथा निर्देशों, प्रपत्रों, उत्तरदायित्वों तथा कार्य–योजना से संबंधित निर्देशिका बनाने के संबंध मेंः–** नवनियुक्त कर्मियों के प्रशिक्षण के संबंध में निर्देश दिया गया कि कर्मियों के प्रारंभिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होने के पश्चात नियमित रूप से तीन–चार महीने के अंतराल पर सर्वेक्षण कर्मियों रिफ्रेशर प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी तैयार कर लिया जाए। प्रशिक्षण से संबंधित सामग्रियों एवं प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रशिक्षण कोषांग द्वारा तैयार किया जाएगा। रिफ्रेशर प्रशिक्षण का कार्यक्रम तीन से चार दिनों का होगा।

नवनियुक्त कर्मियों के नियोजन के पश्चात वर्त्तमान वर्ष के अगस्त–सितम्बर से नियमित प्रशिक्षण का कार्य निश्चित रूप से प्रारंभ हो इस हेतु पूर्व से ही सभी तैयारी कर ली जाए। यह भी निर्देश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण के सफल संचालन के लिए तकनीकी मार्गदर्शिका के अतिरिक्त एक मार्गदर्शिका तैयार की जाए, जिसमें विशेष सर्वेक्षण के लिए गठित कोषांगों की विवरणी, प्रतिवेदन एवं पर्यवेक्षण के विभिन्न स्तरों में प्रयोग होने वाले प्रपत्रों, Chain of communication, विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों द्वारा समस्या की प्रकृति के अनुसार निर्णय लेने की शक्ति इत्यादि का विस्तृत विवरण शामिल हो।

(अनुपालनः– प्रभारी प्रशिक्षण कोषांग)

7. **सभी अपर समाहर्त्ताओं को प्रभारी पदाधिकारी के रूप में नामित करने के संबंध मेंः–**

विशेष सर्वेक्षण के सफल संचालन के लिए जिला पदाधिकारी को बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में नामित करने के साथ–साथ अपर समाहर्त्ता को प्रभारी पदाधिकारी (चार्ज ऑफिसर) के रूप में नामित करने की कार्रवाई राज्य स्तर से की जाए। साथ ही, विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत अधिकार–अभिलेख के प्रपत्र–20 में अंतिम प्रकाशन के पश्चात सुनवाई की प्रक्रिया संपादित करने के लिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी को नामित किया जाए। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए

निदेशक, भू–अभिलेख को राजस्व विभाग के माध्यम से एक प्रस्ताव बनाकर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजेंगे।

सभी जिलों में अंचल स्तर के कार्यों के समीक्षा हेतु वरीय उप समाहर्त्ता एवं अन्य उप समाहर्त्ता के स्तर के पदाधिकारी जिला पदाधिकारी द्वारा नामित होते है। सभी जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया जाए कि विशेष भू–सर्वेक्षण कार्यों के नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए ये पदाधिकारी स्वतः वरीय प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे।

(अनुपालनः– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

8. <u>जिला स्तरीय पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्त्तव्य की बिन्दुवार निर्देशिका के संबंध में</u>:– बैठक में निर्देश दिया गया कि तकनीकी मार्गदर्शिका के अतिरिक्त सामान्य कोषांग द्वारा अंचल अधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त, प्रखंडों के वरीय प्रभारी, सर्वेक्षण शिविर में कार्यरत लिपिक, कार्यपालक सहायक इत्यादि के दायित्त्वों को बिन्दुवार (In bullet points) तैयार कर लेंगे जो जिलों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(अनुपालनः– प्रभारी सामान्य कोषांग)

9. <u>सर्वेक्षण शिविरों का वित्तीय प्रबंधन</u>:– प्रत्येक नवसृजित सर्वेक्षण शिविर के प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के नाम से एक खाता खोला जाएगा। शिविर प्रभारी इस खाते के माध्यम से शिविर की छोटी–छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा प्रत्येक शिविर में कुर्सी, टेबल, अलमीरा इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति शिविर 75,000/– (पचहत्तर हजार रूपये) व्यय होने का अनुमान किया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी शिविर के समाप्ति के पश्चात शेष सभी राशि बैंक खाता सहित एवं अन्य सभी सामग्री/उपस्कर आदि दूसरे नवसृजित शिविर में हस्तानांतरित होगा। निदेशित किया गया कि इस संदर्भ में विस्तृत/बिन्दुवार निदेश निर्गत किया जाए।

(अनुपालनः– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

10. <u>विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समय–सीमा का निर्धारण</u>:– विशेष सर्वेक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों की समय–सीमा निर्धारित कर दी जाए। राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि, शिविरों द्वारा कार्य प्रारंभ करने की तिथि, किस्तवार एवं खानापुरी प्रारंभ करने की तिथि इत्यादि का निर्धारण पूर्व से करते हुए प्रत्येक कार्य को तय समय–सीमा के अंदर पूरा किया जाए। इस हेतु विस्तृत/बिन्दुवार निदेश निर्गत किया जाए।

(अनुपालनः– सामान्य कोषांग)

11. <u>हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के संबंध में</u>:– बैठक में उपस्थित हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों को निम्नाकिंत निदेश दिए गएः–

(i) जिलों में प्रशिक्षण प्रारंभ होने के साथ ही प्रत्येक जिलों को आवश्यकतानुसार ई0टी0एस0 मशीन ऑपरेटर के साथ उपलब्ध कराई जाए ताकि शिविर प्रारंभ होने के पश्चात शिविरों में कार्य बाधित न हो।

प्रत्येक शिविर को कितने संख्या में **ई0टी0एस0 मशीन** ऑपरेटर के साथ प्रति शिविर उपलब्ध कराया जाएगा, इस संदर्भ में **सभी हवाई** एजेंसी एवं जी0आई0एस0 सलाहकार आपस में समीक्षा कर प्रस्ताव **सामान्य कोषांग को** उपलब्ध करायेंगे।

(ii) विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए **विशेष सर्वेक्षण** के जिला स्तरीय उद्घोषणा के पश्चात खानापुरी प्रारंभ करने **तक के कार्यों जिसमें** किस्तवार संबंधी कार्यों की विवरण सम्मिलित हो, की **बिन्दुवार संक्षिप्त निर्देशिका** तैयार कर निदेशालय को हवाई सर्वेक्षण से संबंधित **एजेंसियों द्वारा समर्पित** किया जाएगा। प्रशिक्षण कोषांग द्वारा समीक्षा के पश्चात हवाई **एजेंसियों द्वारा समर्पित** कार्य–योजना अंतिम रूप से प्रकाशित किया जाएगा।

(iii) सर्वेक्षण के लिए तैयार किए जाने वाले **ऑर्थोफोटोग्राफ**, मुस्तकिल, ग्राम–सीमा निर्धारण इत्यादि के संबंध में तीनों एजेंसियों मिलकर **निदेशालय** के साथ समन्वय स्थापित कर एक विडियो व्याख्यान भी तैयार करेंगी।

(iv) हवाई सर्वेक्षण एजेंसियाँ निदेशालय के साथ **समन्वय स्थापित कर मानचित्र में** विभिन्न प्रकार की लाईनों या तथ्यों (जैसे–आम जमीन) **इत्यादि के लिए प्रयुक्त** होने वाले अलग–अलग रंगों का मानकीकरण (Standardisation) करना सुनिश्चित करेंगी। मानचित्र में प्रयुक्त होने Templet के संबंध में भी प्रस्ताव समर्पित करने की कार्रवाई एजेंसियों द्वारा होगी।

(अनुपालनः– सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, जी0आई0एस0 सलाहकार एवं सामान्य कोषांग)

12. <u>विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के यात्रा–भत्ता के संबंध में</u>:– बैठक में विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु संविदा पर नियुक्त कर्मियों का मुख्यालय उनका सर्वेक्षण शिविर होगा। विभिन्न प्रकार की बैठकों, प्रशिक्षण अथवा आवश्यकता पड़ने पर मुख्यालय से बाहर जाने की स्थिति उन्हें निश्चित दर से यात्रा–भत्ता का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय आवश्यक विचार–विमर्श कर विभाग को प्रस्ताव समर्पित करेगा। निदेशालय स्तर से प्रत्येक संविदा कर्मी का एक यूनिट आई0डी0 कार्ड भी तैयार किया जाएगा।

(अनुपालनः– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

13. <u>प्रतिवेदनों के प्रपत्रों का ऑनलाईन निर्धारण</u>:– निर्देश दिया गया कि निदेशालय बेल्ट्रॉन में समन्वय स्थापित कर प्रपत्रों एवं प्रतिवेदनों का ऑनलाईन करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करवाएगा ताकि प्रत्येक स्तर के प्रतिवेदनों को पर्यवेक्षण ऑनलाईन क्रिया जा सके। साथ ही इस संदर्भ मोबाईल एप एवं सॉफ्टवेयर भी तैयार करवा लिया जाए ताकि जिलों में हो रहे भू–सर्वेक्षण कार्यों के दैनिक/साप्ताहिक प्रतिवेदनों की ऑनलाईन समीक्षा की जा सके।

(अनुपालनः– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

14. <u>विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु आवश्यक प्रपत्रों की छपाई और उनके Indenting का कार्य</u> :– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप को निदेश दिया गया कि प्रपत्रों की छपाई से संबंधित अब तक की गई कार्रवाई से प्रभारी छपाई एवं वितरण कोषांग को अवगत करा जाए। साथ ही निदेशित किया गया कि वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग से समन्वय स्थापित कर प्रपत्रों के छपाई के संबंध में आवश्यक कार्रवाई ससमय संपन्न कर ली जाए। प्रपत्रों के भंडारण स्थान के संबंध में निदेशित किया गया कि प्रपत्रों के भंडारण की व्यवस्था जिला सर्वेक्षण कार्यालय

गुलजारबाग में करने के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में भी भंडारण हेतु स्थान चिन्हित कर ली जाए। वैसे प्रपत्र जिनका उपयोग नियमित होगा उसका क्षेत्रीय कार्यालयों में करने हेतु इसका प्रभारी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को बनाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई कर ली जाए। प्रपत्रों के Indenting के कार्य को ऑनलाईन करने के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई कर ली जाए और इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

बैठक में बताया गया कि कुछ प्रपत्रों की आवश्यकता बार–बार होगी और कुछ प्रपत्रों की आवश्यकता कभी कभार होगी। इसी प्रकार भू–सर्वेक्षण के लिए निर्धारित तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए प्रपत्रों की आवश्यकता अलग–अलग होगी, अतः प्रपत्रों की छपाई आवश्यकता के अनुरूप Indent तैयार किया जाए और उन प्रपत्रों के मांग एवं आपूर्ति के संदर्भ में किस प्रकार सुलभ व्यवस्था हो इसे भी निर्धारित कर लिया जाए।

(अनुपालनः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं प्रभारी प्रपत्र छपाई कोषांग)

15. **निदेशालय स्तर से विशेष सर्वेक्षण संबंधी आवश्यक दिशा–निर्देशों के निर्गत करने के संबंध में** :– निदेश दिया गया कि भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय विशेष सर्वेक्षण के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक प्रपत्र निर्गत करने के साथ–साथ आम रैयतों द्वारा सर्वेक्षण संबंधी विभिन्न प्रपत्रों की छायाप्रति प्रयोग करने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश करेंगे तथा विशेष सर्वेक्षण शिविर अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। साथ विशेष सर्वेक्षण शिविर अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं कानूनगो के अर्द्धन्यायिक आदेशों के अनुपालन करवाने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करेंगे।

(अनुपालनः– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

16. **नवनियुक्त विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के नियोजन एवं अनुबंध प्रपत्र के संबंध में** :– वरीय प्रभारी एवं प्रभारी नियोजन भर्त्ती कोषांग को निदेश दिया गया कि एन0आई0सी0 से समन्वय स्थापित कर नियोजन के रोस्टर को स्पष्ट कर लेंगे। साथ ही निदेशित किया गया कि नियोजन संबंधी आवश्यक कार्यों के लिए आवश्यक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विभिन्न प्रशाखाओं के जानकारी कर्मियों का प्रस्ताव अविलंब देंगे। 15 मई 2019 तक नियोजन संबंधी औपचारिकता पूरी कर जुन–जुलाई, 2019 तक नियोजन संबंधी समस्त प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। नवनियुक्त कर्मियों की नियुक्ति के समय उनके साथ किए जाने वाले अनुबंध के प्रारूप को बिहार विकास मिशन से समन्वय स्थापित कर उनसे अपेक्षित सहयोग करते हुए तैयार कर लिया जाए।

(अनुपालनः– प्रभारी नियोजन एवं भर्त्ती कोषांग, सामान्य कोषांग)

17. **विशेष सर्वेक्षण शिविर के कार्यालय प्रबंधन एवं सर्वेक्षण में अंचल कार्यालय की भूमिका के संबंध में** :– प्रत्येक सर्वेक्षण शिविर में कार्यरत लिपिकों को अंचल कार्यालय के नाजिर एवं प्रधान सहायक के स्तर से रोकड़ पंजी, भंडार संधारण एवं कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए दिशा–निर्देश निर्गत करने की कार्रवाई की जाए। सर्वेक्षण शिविरों में पदस्थापित होनेवाले दो लिपिकों में एक लिपिक नजारत एवं कार्यालय कार्य तथा एक लिपिक मंडारपाल (Record custodiam) एवं अन्य दायित्त्व का निर्वहन करेंगे। दोनों लिपिक पेशाकर एवं अभिलेख संधारण का कार्य भी करेंगे। विशेष सर्वेक्षण शिविरों में अंचल अधिकारी / राजस्व अधिकारी के स्तर

से सप्ताह में एक बार एवं राजस्व कर्मचारी की सप्ताह में दो बार ... सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किया जाए ताकि हो रहे ... कार्य में सरकारी दस्तावेजों की प्राप्ति सुलभ हो सके एवं सर्वेक्षण में कार्य में ... कार्यालय से निरंतर समन्वय बना रहे।

(अनुपालनः–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

18. <u>भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के संबंध में</u> :– सर्वेक्षण के प्रशिक्षण हेतु तैयार किए गए विडियो लेक्चर में भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के संबंध में विस्तृत विडियो लेक्चर तैयार किया जाए। साथ ही यदि अन्य विषयों से संबंधित विडियो लेक्चर छुट गए हो तो उन्हें भी शीघ्र तैयार कर लिया जाए। भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के संबंध में निदेशित किया गया कि एन0आई0सी0 द्वारा विभाग के सभी वरीय पदाधिकारियों के समक्ष इसे प्रदर्शित किया जाए एवं तदनुसार आवश्यक सुझाव प्राप्त कर यदि आवश्यक तो इसमें सुधार किया जाए।

(अनुपालनः– एन0आई0सी0 एवं प्रशिक्षण कोषांग)

19. <u>शहरी क्षेत्रों को विशेष सर्वेक्षण कार्य से अलग करने के संबंध में</u> :– वर्त्तमान में किए जा रहे विशेष सर्वेक्षण के क्षेत्र निर्धारण के लिए सभी जिलों में अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए उनकी अलग सूची तैयार कर ली जाए। चूंकि वर्त्तमान में राज्य के सभी 38 जिलों के केवल ग्रामीण क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए अधिसूचना निर्गत की गई है, अतः नगरीय क्षेत्रों के विशेष सर्वेक्षण के संदर्भ में नीति निर्धारण के लिए अलग से प्रस्ताव तैयार किया जाए।

(अनुपालनः– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

20. <u>विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत मानचित्र एवं रकवा त्रुटि निवारण के लिए पाईलट ग्राम का चयन</u> :– निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत गत् सर्वेक्षणों के संदर्भ में आने वाली रकवा संबंधी त्रुटि एवं मानचित्र और इसके अनुरूप अधिकार–अभिलेख में आनेवाली त्रुटियों के निवारण के लिए लखीसराय, बंदोबस्त कार्यालय के अंतर्गत एक राजस्व ग्राम का चयन किया जाए एवं सभी बिन्दुओं की समीक्षा कर त्रुटि निवारण हेतु आवश्यक प्रस्ताव दिया जाए ताकि भविष्य में विशेष सर्वेक्षण के क्रम में आनेवाली बाधाओं के संबंध में पूर्व से अवगत हो ले।

(अनुपालनः– सामान्य कोषांग एवं तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

21. <u>क्षेत्रीय स्तर पर आने वाली व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के संबंध में</u> :– क्षेत्रीय स्तर पर विशेष सर्वेक्षण के संबंध में जो व्यावहारिक समस्याएँ प्रकाश में आती हैं, उनके समाधान के लिए प्रशिक्षण कोषांग से समन्वय कर निदेशालय स्तर से FAQ तैयार कर लिया जाए। इस संबंध में हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों से किस्तवार संबंधी समस्याओं के निवारण का प्रस्ताव भी प्राप्त कर लिया जाए।

(अनुपालनः– सामान्य कोषांग)

22. <u>विभिन्न कोषांगों बैठक एवं उनके द्वारा तैयार कार्य–योजना की समीक्षा</u> :– अंत में बैठक में उपस्थित सभी विभागीय पदाधिकारी–सह–कोषांग के प्रभारियों को निदेश दिया गया कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक अपने–अपने कोषांगों की विस्तृत कार्य–योजना SOP (Standard operating procedure) तैयार कर लेंगे।

निदेश दिया गया कि नियोजन एवं भर्त्ती कोषांग तथा प्रशिक्षण कोषांग की समीक्षात्मक बैठक दिनांक– 8 अप्रैल, 2019 को होगी। इसी प्रकार छपाई एवं वितरण कोषांग तथा सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग की समीक्षात्मक बैठक दिनांक– 9 अप्रैल, 2019 को होगी। पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कोषांग तथा आई0टी0 कोषांग की समीक्षात्मक बैठक दिनांक– 10 अप्रैल, 2019 को होगी। उक्त निर्धारित तिथियों को संबंधित कोषांग निदेशानुसार सभी कार्य–योजना के संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव के साथ उपस्थित होंगे। इस बैठक में कोषांग के सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी भाग लेंगे। उक्त सभी निर्धारित तिथियों को सामान्य कोषांग के पदाधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे।

(अनुपालनः– सभी कोषांगों के पदाधिकारी)

23. <u>कोषांगों में आवश्यकतानुसार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति</u> :– निदेशित किया गया सभी कोषांग वरीय पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी अपने अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हेतु अविलंब प्रस्ताव देकर कोषांगों का कार्य प्रारंभ कर देंगे ताकि कोषांगों की समीक्षात्मक बैठक के निर्धारित तिथि तक विस्तृत कार्य–योजना के साथ वे बैठक में भाग ले सके।

(अनुपालनः– सभी कोषांगों के पदाधिकारी)

24. <u>कोषांगों द्वारा संचिकाओं का उपस्थापन</u> :– निदेशित किया गया कि आवश्यकतानुसार कोषांगों को आवंटित कार्य के संचिकाओं का सृजन उनके कोषांग से होगा जो आवश्यक प्रस्ताव के साथ निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप को भेजा जाएगा। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप आवश्यकतानुसार प्रस्ताव अनुमोदन हेतु संचिका प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपस्थापित करेंगे।

(अनुपालनः– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप तथा सभी कोषांगों के पदाधिकारी)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

(7)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक :–17–वि० सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019..569 **पटना, दिनांक**:–03-04-2019

प्रतिलिपि :– सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग, प्रभारी, श्री मुकुल कुमार, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–17–वि० सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019..569 **पटना, दिनांक**:–03-04-2019

प्रतिलिपि :– पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कोषांग, प्रभारी, श्री नवल किशोर, संयुक्त निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–17–वि० सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019..569 **पटना, दिनांक**:–03-04-2019

प्रतिलिपि :– प्रशिक्षण कोषांग, प्रभारी, श्री विनय कुमार ठाकुर, सहायक निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–17–वि० सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019..569 **पटना, दिनांक**:–03-04-2019

प्रतिलिपि :– सामान्य कोषांग, प्रभारी, श्री मनोज कुमार झा, सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–17–वि० सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019..569 **पटना, दिनांक**:–03-04-2019

प्रतिलिपि :– नियोजन एवं भर्त्ती कोषांग, प्रभारी, श्री सुबोध कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–17–वि० सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019..569 **पटना, दिनांक**:–03-04-2019

प्रतिलिपि :– सभी सहायक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार, पटना /जी०आई०एस० सलाहकार, पी०एम०यू० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–17–वि० सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019..569 **पटना, दिनांक**:–03-04-2019

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–17–वि० सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019..569 **पटना, दिनांक**:–03-04-2019

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप